

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1191 /2020 दिनांक 03.06.2020

श्री विनोद कुमार बैरवा (RJ0711), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा (झालावाड़) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 23.03.2020 से 25.03.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 22.03.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 26.03.2020 से 06.04.2020 तक 12 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्री बैरवा की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा (झालावाड़) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा (झालावाड़) के पद पर ही की गई ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/80/2011/ 2440

दिनांक : 3.06.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ को उनके पत्रांक 1470 दिनांक 16.04.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री विनोद कुमार बैरवा (RJ0711), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा (झालावाड़) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा (झालावाड़) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा (झालावाड़) ।


सहायक रजिस्ट्रार